जगदीश बनाम स्टेट, चम्पादेवी

किस्म मुकद्दमा : अपील संख्या 13/2019 अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.5.2019	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभिभाषक अपीलान्ट श्री महावीर शर्मा एवम् राजकीय अभिभाषक उपस्थित । यह अपील तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 31.12.18 की पालना में दर्ज होकर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं0 473 दिनांक 8.2.19 (चक 16एलएलजी) के विरुध्द भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(1)एफ के अन्तर्गत प्रस्तुत हुई है । प्रस्तुत अपील न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में होने के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28.4.14 के उपरान्त अति.जिला कलक्टर, गंगानगर द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 2 ता 14 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पर आदेश दिनांक 6.1.17 पारित कर अपीलान्ट की माता मानादेवी के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 16 एलएलजी तहसील सादुलशहर के मुरब्बा सं0 60 का किला नं0 2,3 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण अति. जिला कलक्टर के उक्त आदेश के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है । मामला राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा अधिगृहित भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 473 दिनांक 8.2.2019 रेस्पोन्डेंट सं0 2 ता 14 के जयराम पुत्र बीरबलराम जाट साकिन जोगीवाला के नाम से स्वीकृत किया गया है । जिसमें अपीलान्ट द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई थी, परन्तु आपत्ति पर विचार किये बिना ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है । इस प्रकार डिस्पुटेड केसेज में तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश की अपील निदेशक भू.अ. को दायर होगी । जिन मामलों में नामान्तरकरण विवादित है, उन मामलों में धारा 135(2) के तहत भू0अ0 अधिकारी आदेश पारित करेगा, जिसकी अपील न्यायालाय सम्भागीय आयुक्त में धारा 75(1) एफ के तहत दायर होगी। इस प्रकरण में तहसीलदार ने भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से धारा 135(2) के अन्तर्गत विवादित नामान्तरकरण में आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश की अपील सुनने का अधिकार न्यायालय सम्भागीय आयुक्त को है । अतः प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की होने से इस न्यायालय में एडिमिशन के स्तर पर स्वीकार फरमाई जावे । अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा नजीर आरआरटी 2003(1) पेज–359, आरआरटी 2004(1), आरआरडी 14.5.18 पेज 270 एवं आरआरडी 1987 पेज 106 अवलोकनीय बताया । राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रस्तुत अपील प्रकरण में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा आदेश कमांक 1601 दिनांक 31.12.18 की पालना में नामान्तरकरण सं0 473 दिनांक 8.2.19 दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जो कि मूल आदेश की श्रेणी में नहीं आता है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(1)एफ के अन्तर्गत पेश की गयी है, जिसमें नियमानुसार मूल आदेश के विरुध्द अपील पेश करने का प्रावधान है । अपीलान्ट के अनुसार धारा 144सीपीसी के प्रार्थना पत्र अति.जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। अतः अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 6.1.17 की पालना में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.18 की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के विरुध्द प्रस्तुत की गयी यह अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारिज फरमाई जावे ।	

हमने अभिभाषक अपीलान्ट के कथन को मध्यनजर रखते हुए प्रथमतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन किया । सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को भू–अभिलेख निदेशक की शक्तियां प्रदत्त है, जिसमें धारा 75–एफ के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने का निम्नप्रकार से प्रावधान दिया हुआ है :–

First Appeals Section 75(F) : to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा –75 के अनुसार धारा–135(2) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरुध्द अपील प्रस्तुत होने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 31.12.18 की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं0 473 दिनांक 8.2.19 (चक 16एलएलजी) के विरुध्द भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(1)एफ के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है । हमने अपील के साथ प्रस्तुत हुए चक 16 एलएलजी तहसील सादुलशहर के नामान्तरकरण सं0 473 दिनांक 8.2.2019 के कॉलम सं0 14 व 16 का अवलोकन किया । जिसके अनुसार उक्त नामान्तरकरण सं0 470 तहसीलदार सादुलशहर के आदेश सं0 1600–1601 दिनांक 31.12.18 की पालना में स्वीकृत किया गया है। जबकि धारा–75 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरुध्द न्यायालय सम्भागीय आयुक्त में अपील प्रस्तुत की जा सकती है । प्रकरण में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा आदेश की दिनांक 31.12.18 की पालना में नामान्तरकरण सं0 473 दिनांक 8.2.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया है । न्यायालय का अभिमत है कि नामान्तरकरण मूल आदेश नहीं होने से इसके विरुध्द अपील नहीं की जा सकती है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो न्यायिक उध्दरण प्रस्तुत किये गये हैं, उनका सार है कि यदि तहसीलदार ने भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से धारा 135(2) के अन्तर्गत विवादित नामान्तरकरण प्रकरण में यदि कोई आदेश पारित किया है तो ऐसे आदेश की अपील सुनने का अधिकार धारा 75(1)एफ के अन्तर्गत न्यायालय सम्भागीय आयुक्त को प्राप्त है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के विरुध्द अपील पेश की गयी है, जिसके काराण अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं । अपीलान्ट के अनुसार धारा 144सीपीसी. प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये आदेश के विरुध्द निगरानी मा.राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । अतः इस न्यायालय में एल.आर. एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत नामान्तरकरण सं0 473 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी यह अपील संधारण योग्य नहीं होने से एवम् क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण क्षेत्राधिकार बिन्दु पर एडमिशन स्टेज में ही खारिज की जाती है । आदेश की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को प्रेषित होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर